

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/परिवीक्षा/एफ.30683/2024/ 20

दिनांक : 21/01/2025

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 13.05.2011 एवं 02.01.2017 के अनुसरण में विधवा कर्मचारी को टंकण एवं कम्प्यूटर अर्हता परीक्षा से मुक्त रखने के फलस्वरूप श्रीमती सुमन रानी, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरतगढ जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 25.08.2022 है तथा दिनांक 24.08.2024 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है का दिनांक 25.08.2024 से 20800 (लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जोधपुर/परिवीक्षा/एफ.30683/2024/ 20

दिनांक : 21/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
2. वरिष्ठ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सूरतगढ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Gocher
Designation: Deputy Director
Date: 2025.01.17 12:14:58 IST
Reason: Approved

